न्यायालय सब जज, कहलगाँव, भागलपुर

पीठासीन पदाधिकारी :– अमित कुमार शर्मा

दीवानी वाद संख्या 76 / 2022

मुनी लाल मंडल व अन्य बनाम बिहार सरकार व अन्य

16.08.2022

आदेश

वादी की ओर से हाजरी दी गयी है। पुकार पर वादी अपने अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए, उनको ग्रहण के बिन्दु पर सुना।

अभिलेख व सिरिस्तेदार प्रतिवेदन के अवलोकन के पश्चात् यह न्यायालय यह पाती है कि यह वाद सही प्रारूप में विधि के अनुसार दाखिल किया गया है। वादपत्र सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VI एवं VII के प्रावधानों के अनुसार दाखिल किया गया है। वादी द्वारा यथोचित न्यायशुल्क दाखिल कर दिया गया है। अतः वादपत्र को ग्रहण किया जाता है। वादी को यह निर्देश दिया जाता है कि 15 दिनों के अन्दर सम्मन व निबंधित सम्मन की आपेक्षिताएं न्यायालय में दाखिल करें।

वादी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि निबंधित सम्मन की रसीद के साथ–साथ वो इन्टरनेट पर उपलब्ध निबंधित सम्मन की ट्रैक रिपोर्ट भी दाखिल करेंगें। ट्रैक रिपोर्ट सम्मन करने की दिनांक से एक माह तक इन्टरनेट पर उपलब्ध रहती है।

वाद दिनांक 30.09.2022 वास्ते सम्मन की आपेक्षिताएं व प्रतिवादीगण उपस्थित हेतु।

अवर न्यायाधीश
कहलगॉव